

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :नर्सिंग/नर्स-1/एफ-47/एसीपी-एमएसीपी/पार्ट-1/2026/36356/141

दिनांक: 17-3-26

—:आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ 15 (1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.12.2017, 06.10.2023 एवं 11.12.2024 व 07.01.2025 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एमएसीपी/एसीपी पे-मैट्रिक्स लेवल किया स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय एसीपी / एमएसीपी की दिनांक	प्राप्त पे बैंड/ पे-मैट्रिक्स लेवल	देय ग्रेड-पें/ पे-मैट्रिक्स लेवल
1.	ब्रह्मा कुमारी प्रतिहार	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	चित्तौड़गढ़	13.06.1996	13.06.2023 27 वर्ष	L-14	L-15
2.	हरजीत खैरवा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जयपुर	23.11.1998	23.11.2025 27 वर्ष	L-14	L-15
3.	सुमन लता विरमानी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जयपुर	27.11.1998	27.11.2025 27 वर्ष	L-14	L-15
4.	सुधा दाधीच	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जयपुर	14.09.1998	14.09.2025 27 वर्ष	L-14	L-15
5.	सीमा पुरी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जोधपुर	16.11.1998	16.11.2025 27 वर्ष	L-14	L-15

उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध आपके कार्यालय स्तर पर भी विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित है या नहीं सुनिश्चित करावें।

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा। उक्त कार्मिक का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :नर्सिंग/नर्स-1/एफ-47/एसीपी-एमएसीपी/पार्ट-1/2026/36356/141

दिनांक: 17-3-26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, (ई0एस0आई0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
4. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation : Director  
Date: 2026.03.17 10:44:21 IST  
Reason: Approved

DFA

RajKaj Ref No.:  
20770096

